Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 30-08-2005

Participants : Rawat Shri Bachi Singh

an>

Title : Need to review the decision for delimitation of seats in the legislature of Uttaranchal based on Census of 2001.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) :अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन अधिनियम 2002 के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं का 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जा रहा है। इसमें देश का पर्वतीय राज्य उत्तरांचल भी सम्मिलित है।

उत्तरांचल का गठन 9 नवम्बर, 2000 को हुआ और उसकी 70 विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन सन 2001 में किया गया है, जिसके आधार पर वहां चुनी हुयी सरकार कार्य कर रही है।

वर्तमान परिसीमन में उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र से 9 विधान सभा क्षेत्र घटाये जाने का प्रस्ताव है, जिससे उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र की जनता में तीव्र रोा व्याप्त है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की सीमायें चीन, तिब्बत व नेपाल की अंतर्राट्रीय सीमा से लगी है और नेपाल में माओवादी हिंसा की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में जनता में यह आशंका है कि जहां एक ओर विधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जायेगा वहीं विधायकों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यो में पहले से ही प्रदेश का पिछड़ा हुआ पर्वतीय क्षेत्र और अधिक पिछड़ जायेगा। और उत्तरांचल का शांतिप्रिय क्षेत्र भी अशांत हो सकता है।

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल होने तथा रोजगार हेतु पलायन के कारण जनसंख्या में कमी आयी है। लोक सभा हेतु र्वा 2026 तक परिसीमन स्थगित किया गया है, उसी अनुसार राज्यों की विधान सभाओं का भी परिसीमन स्थगित किया जा सकता है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उत्तरांचल की विशेा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तरांचल को भी जम्मू-कश्मीर की भांति परिसीमन अधिनियम की परिधि से बाहर रखा जाये अथवा 2001 के परिसीमन को ही मान्यता देकर वर्तमान परिसीमन की कार्यवाही को निरस्त किया जाये या कम से कम 2026 तक लोक सभा के समान स्थगित रखा जाये।